भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 312

30 नवम्बर, 2021 को उत्तरार्थ

विषय: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2.0

312. श्री संगम लाल गुप्ता

श्री महेंद्र सिंह सोलंकी:

श्रीमती संध्या राय:

श्री पी.पी. चौधरी:

श्री कृष्णपालसिंह यादव:

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) 2.0 के उद्देश्यों, लक्ष्यों और विशेषताओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार लाभार्थियों के मध्य योजना के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए कदम उठा रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार द्वारा इस योजना के तहत शिकायत निवारण तंत्र के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ड.) मध्यप्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश सहित पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान इस योजना के लाभार्थियों का राज्य-वार और जिला-वार आंकड़ा क्या है?

<u>उत्तर</u>

<u>कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)</u>

(क): प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) देश में खरीफ 2016 मौसम से शुरू की गई है। हितधारकों के अनुभव और फीडबैक के आधार पर, योजना को रबी 2018 और खरीफ 2020-21 मौसम से संशोधित और पुर्नोत्थान किया गया है। पीएमएफबीवाई का उद्देश्य विशेष रूप से प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियों में फसल उत्पादन में स्थायी आय का समर्थन करना है,:

- अप्रत्याशित घटनाओं से होने वाली फसल नुकसान/क्षति से पीड़ित किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना।
- खेती में निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए किसानों की आय को स्थिर करना।
- किसानों को नवीन और आधुनिक कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना।
- किसानों को उत्पादन जोखिमों से बचाने के अलावा किसानों की ऋण पात्रता, फसल विविधीकरण और कृषि क्षेत्र की वृद्धि और प्रतिस्पर्धात्मकता सुनिश्चित करना।

पहले यह योजना फसल ऋण/किसान क्रेडिट कार्ड ऋण लेने वाले किसानों के लिए अनिवार्य थी और अन्य के लिए वैकल्पिक थी। हालाँकि, योजना को अब खरीफ 2020 मौसम से सभी किसानों के लिए वैकल्पिक कर दिया गया है। पुर्नोत्थान पीएमएफबीवाई की संक्षिप्त विशेषताएं **अनुबंध-I** पर दी गई हैं।

(ख) और (ग): सरकार ने लाभार्थियों के बीच योजना के बारे में पर्याप्त जागरूकता पैदा करने के लिए कई कदम उठाए हैं ताकि वे इस योजना के तहत स्वेच्छा से अपना नामांकन करा सकें। सरकार ने रबी 2018-19 से पीएमएफबीवाई के बारे में जागरूकता के लिए पर्याप्त निधियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने का प्रावधान किया है। पीएमएफबीवाई के लिए संशोधित प्रचालनात्मक दिशानिर्देश जो 1 अक्तूबर 2018 से लागू हुए हैं, में प्रावधान किया गया है कि बीमा कंपनियों को उनके द्वारा एकत्रित कुल सकल प्रीमियम का कम से कम 0.5% सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) गतिविधियों के लिए अनिवार्य रूप से खर्च करना चाहिए।

सरकार ने किसानों और पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई) के सदस्यों के बीच पीएमएफबीवाई की प्रमुख विशेषताओं का प्रसार करने के लिए बीमा कंपनियों, वित्तीय संस्थानों और सीएससी नेटवर्क का कार्यान्वयन करने के लिए राज्यों द्वारा की जा रही जागरूकता गतिविधियों का सक्रिय रूप से समर्थन किया है। पीएमएफबीवाई का कार्यान्वयन करने के लिए जिम्मेदार सभी आरम्भिक स्तर के संगठन सक्रिय रूप से किसानों की क्षमता निर्माण में शामिल हैं ताकि वे सूचित निर्णय ले सकें। चूंकि, पुर्नोत्थान पीएमएफबीवाई खरीफ 2020 से कार्यान्वित की जा रही है, और सभी किसानों के लिए स्वैच्छिक बना दिया गया है, व्यवहार परिवर्तन संचार गतिविधियों को विभिन्न मीडिया टूल्स जैसे प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल और सोशल मीडिया इत्यादि के माध्यम से संचालित किया जा रहा है। मोबाइल आईईसी वाहनों को आरम्भिक स्तर पर नामांकन अभियान के दौरान किसानों को प्रेरित करने के लिए प्रयोग किया जा रहा है।

इसके अलावा, जागरूकता सृजित करने के लिए अन्य गतिविधियों में प्रमुख राष्ट्रीय और स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञापनों के माध्यम से योजना की प्रमुख विशेषताओं और लाभों का प्रचार, क्षेत्रीय/स्थानीय चैनलों पर ऑडियो-विजुअल स्पॉट का प्रसारण, स्थानीय भाषाओं में आईईसी सामग्री का वितरण, किसान/एनसीआईपी पोर्टल के माध्यम से एसएमएस का प्रसार और किसानों, पंचायत सदस्यों और अन्य प्रमुख हितधारकों सहित सभी हितधारकों की ऑनलाइन कार्यशालाओं का आयोजन शामिल है।

इसके अलावा, आकांक्षी/आदिवासी जिलों पर विशेष जोर देने के लिए सभी पीएमएफबीवाई अधिसूचित जिलों में आजादी का अमृत महोत्सव, भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने का जश्न मनाने की एक पहल के तहत खरीफ 2021 से कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा एक संरचित जागरूकता अभियान 'फसल बीमा सप्ताह' शुरू किया गया था। अभियान का मुख्य फोकस योजना के बारे में जागरूकता और लाभों को बढ़ाना, हितधारकों को संवेदनशील बनाना और किसानों के समग्र नामांकन में वृद्धि करना है, जिससे उन्हें विशेष रूप से चिन्हित आकांक्षी/आदिवासी जिलों पर विशेष ध्यान देने के साथ फसल बीमा के लाभों को प्राप्त करने में मदद मिल सके। रबी 2021-22 के दौरान अगला फसल बीमा सप्ताह 1 दिसंबर से 7 दिसंबर, 2021 तक मनाया जाना है ताकि साप्ताहिक बाजार, ग्रामीण हाट, एपीएमसी मंडियों, ब्लॉक और ग्राम पंचायतों सहित ग्रामीण मेलों/त्योहारों आदि में किसानों की अस्थायी आबादी को लक्षित करते हुए सभी हितधारकों के बीच जागरूकता पैदा की जा सके।

(घ): पीएमएफबीवाई के प्रचालनात्मक दिशानिर्देशों में ब्लॉक स्तर से लेकर जिला स्तर और राज्य स्तर तक स्तरीकृत शिकायत निवारण प्रणाली को शामिल किया गया है। तदनुसार, पीएमएफबीवाई को कार्यान्वित करने वाले अधिकांश राज्यों ने इस योजना के तहत ब्लॉक स्तर/जिला स्तर और राज्य स्तरीय शिकायत निवारण समितियों के गठन को अधिसूचित किया है ताकि निश्चित समय सीमा के अनुसार शिकायत का निपटारा किया जा सके।

(ङ.) : योजना के तहत लाभान्वित होने वाले किसान आवेदनों की लाभार्थियों की संख्या का राज्य-वार विवरण **अनुबंध-II** में दिया गया है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्यों में लाभान्वित किसानों के आवेदनों का जिलेवार विवरण **अनुबंध-III** में दिया गया है।

लो.स.अता.प्र.सं. 312

अनुबंध-I

पीएमएफबीवाई की मुख्य विशेषताएं

i. गैर-रोकथाम योग्य प्राकृतिक जोखिमों के कारण फसल के नुकसान के खिलाफ व्यापक बीमा कवरेज प्रदान करता है, इस प्रकार किसानों की आय को स्थिर करने में मदद करता है और उन्हें अभिनव अभ्यास को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है।

ii. फसल चक्र का बढ़ा हुआ जोखिम कवरेज - बुवाई से पहले से लेकर कटाई के बाद के नुकसान तक।

iii. व्यापक क्षति के दावों के निपटान के लिए क्षेत्र दृष्टिकोण। प्रमुख फसलों के लिए अधिसूचित बीमा इकाई को घटाकर ग्राम/ग्राम पंचायत कर दिया गया है।

iv. बीमांकिक/बोली प्रीमियम एक समान अधिकतम प्रीमियम केवल 2%, 1.5% और 5% क्रमश: सभी खरीफ फसलों, रबी फसलों और वाणिज्यिक/बागवानी फसलों के लिए किसानों द्वारा भुगतान किया जाना है। इन सीमाओं से अधिक प्रीमियम को केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा 50:50 के आधार पर साझा किया जाता है, पूर्वोत्तर क्षेत्र को छोड़कर जहां यह 90:10 है।

v. किसानों द्वारा देय प्रीमियम और बीमा शुल्क की दर के बीच का अंतर सब्सिडी के रूप में प्रदान किया जाता है और केंद्र और राज्य द्वारा समान रूप से साझा किया जाता है।

vi. ऋणी और गैर-ऋणी, दोनों प्रकार के किसानों के लिए एक समान मौसमी अनुशासन और बीमित राशि।

vii. प्रीमियम पर कैपिंग के प्रावधान को हटाना जिसके कारण बीमित राशि में कमी आई, जिससे किसानों को बिना किसी कमी के पूरी बीमित राशि के लिए दावा प्राप्त करने में सुविधा हुई।

viii. पूरे देश में ओलावृष्टि, भूस्खलन, बाढ़, बादल फटने और प्राकृतिक आग की स्थानीय आपदाओं के लिए और फसल कटाई के बाद 14 दिनों की अवधि तक सूखने के लिए खेत में रखी फसलों के लिए चक्रवात, चक्रवाती / बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि के कारण फसल के बाद के नुकसान का व्यक्तिगत खेत स्तर का आकलन और दावों का निपटान।

ix. बाधित बुवाई के लिए 25% तक की बीमित राशि के दावों का प्रावधान।

x. यदि बीमा इकाई में फसल क्षति 50% से अधिक बताई जाती है तो मध्य मौसम प्रतिकूलता के लिए 25% तक की बीमित राशि का "ऑन-अकाउंट भुगतान"। फसल कटाई प्रयोगों (सीसीई) के आंकड़ों के आधार पर शेष दावे।

xi. दावों के शीघ्र निपटान को सुनिश्चित करने के लिए फसल के नुकसान के त्वरित आकलन के लिए रिमोट सेंसिंग तकनीकी, स्मार्टफोन और ड्रोन का उपयोग।

xii. बेहतर प्रशासन, समन्वय, पारदर्शिता, सूचना के प्रसार और सेवाओं के वितरण को सुनिश्चित करने के लिए फसल बीमा पोर्टल को विकसित किया गया है, जिसमें व्यक्तिगत किसान के बैंक खाते में इलेक्ट्रॉनिक रूप से दावा राशि जमा करना शामिल है।

xiii. सभी हितधारकों के बीच योजनाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इसके लिए संसाधनों के उचित प्रावधान पर ध्यान केंद्रित करना।

xiv. ऋणी किसानों के लिए अनिवार्य के बजाय सभी किसानों के लिए योजना को स्वैच्छिक बनाना।

लो.स.अता.प्र.सं.312

अनुबंध-II

दिनांक 25.11.2021 तक की स्थिति के अनुसार पीएमएफबीवाई के तहत राज्य-वार नामांकन				
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	बीमित किसान आवेदन (लाख)			
	2018-19	2019-20	2020-21	खरीफ 2021 (अनन्तिम)
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.01	0.001	0.003	0.002
आंध्र प्रदेश	24.45	27.88	-	-
असम	0.74	10.03	15.80	5.57
बिहार	-	-	-	-
छत्तीसगढ	15.70	40.18	51.60	49.10
गोवा	0.003	0.01	0.001	0.0005
गुजरात	21.71	24.81	-	-
हरियाणा	14.79	17.10	16.51	7.34
हिमाचल प्रदेश	2.69	2.84	2.40	0.91
जम्मू और कश्मीर	1.54	-	-	0.51
झारखंड	12.94	10.92	-	-
कर्नाटक	19.86	21.32	16.07	15.85
केरल	0.57	0.58	0.76	0.36
मध्य प्रदेश	74.41	82.26	82.58	41.03
महाराष्ट्र	148.39	145.64	123.99	81.71
मणिपुर	0.01	0.03	-	0.03
मेघालय	0.01	0.01	0.001	-
उड़ीसा	20.99	48.79	97.51	62.84
पुदुचेरी	0.10	0.12	0.10	0.01
राजस्थान	71.79	85.27	107.58	166.83
सिक्किम	0.002	0.0002	0.001	0.02
तमिलनाडु	24.80	38.93	57.28	1.39
तेलंगाना	7.99	10.34	-	-
त्रिपुरा	0.02	0.36	2.56	2.00
उत्तर प्रदेश	61.41	46.42	41.89	20.80

उत्तराखंड	1.93	2.13	1.71	1.07
पश्चिम बंगाल	51.27	-	-	-
कुल योग	**578.12**	**615.96**	**618.34**	**457.37**

.....जारी

लो.स.अता.प्र.सं.312

अनुबंध-III

दिनांक 25.11.2021 तक की स्थिति के अनुसार पीएमएफबीवाई के तहत मध्य प्रदेश में जिले-वार नामांकन				
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	बीमित किसान आवेदन (लाख)			
	2018-19	2019-20	2020-21	खरीफ 2021 (अनन्तिम)
आगर मालवा	1.44	1.66	1.71	0.54
अलीराजपुर	0.77	0.56	0.53	0.46
अनूपपुर	0.10	0.07	0.09	0.08
अशोकनगर	0.84	1.20	1.28	0.67
बालाघाटी	0.89	0.74	0.78	0.53
बड़वानी	1.14	1.27	0.66	0.42
बेतुल	2.01	2.31	2.41	1.01
भिंड	0.35	0.36	0.34	0.12
भोपाल	0.94	0.94	1.51	0.74
बुरहानपुर	0.24	0.29	0.07	0.06
छतरपुर	0.75	0.63	0.81	0.53
छिंदवाड़ा	1.38	1.59	1.64	0.82
दमोह	1.00	0.78	1.05	0.60
दतिया	0.60	0.75	0.72	0.30
देवास	5.26	5.49	5.44	2.32
धार	3.35	3.20	2.85	0.96
डिंडोरी	0.14	0.15	0.11	0.05
गुना	1.07	1.16	1.41	0.60
ग्वालियर	0.27	0.37	0.34	0.16
हरदा	1.23	1.30	1.64	0.50
होशंगाबाद	1.99	1.89	2.08	0.66
इंदौर	1.82	2.11	2.66	1.14
जबलपुर	0.65	0.63	0.53	0.20
झाबुआ	1.00	0.67	0.78	0.56
कटनी	0.37	0.39	0.34	0.14
खंडवा (पूर्वी निमाड़)	1.59	1.89	2.01	0.84
खरगोन (पश्चिम निमाड़)	3.15	3.81	1.24	0.46
मंडला	0.24	0.21	0.18	0.10
मन्दसौर	2.21	2.31	3.09	4.00
मुरैना	0.44	0.40	0.28	0.11
नरसिम्हापुरी	1.37	1.37	1.04	0.47
नीमच	1.26	1.23	1.48	1.45
निवारी	-	0.16	0.20	0.13
पन्ना	0.37	0.28	0.31	0.14

रायसेन	2.47	2.66	2.87	0.78
राजगढ़	4.16	7.15	4.97	1.08
रतलाम	2.21	2.55	2.80	1.58
रेवा	0.64	0.62	0.21	0.24
सागर	2.85	3.13	3.18	1.67
सतना	0.91	0.68	0.84	0.45
सीहोर	3.89	4.03	5.08	2.92
सिवनी	1.22	1.35	1.50	0.61
शाहडोल	0.21	0.23	0.26	0.13
शाजापुर	3.17	3.56	3.65	1.65
श्योपुर	0.38	0.40	0.37	0.14
शिवपुरी	0.89	1.50	1.31	0.63
सीधी	0.10	0.08	0.08	0.02
सिंगरौली	0.10	0.05	0.02	0.01
टीकमगढ़	0.47	0.49	0.61	0.25
उज्जैन	5.79	7.16	7.50	4.30
उमरिया	0.19	0.18	0.21	0.11
विदिशा	4.54	4.28	5.50	2.56
कुल योग	74.41	82.26	82.58	41.03

.....जारी/-

दिनांक 25.11.2021 की स्थिति के अनुसार पीएमएफबीवाई के तहत राजस्थान में जिले-वार नामांकन				
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	बीमित किसान आवेदन (लाख)			
	2018-19	2019-20	2020-21	खरीफ 2021*
अजमेर	2.06	2.54	3.17	5.45
अलवाड़	3.58	4.25	4.59	4.91
बांसवाड़ा	0.69	1.15	1.60	4.48
बरनी	0.93	1.06	1.48	1.94
बाड़मेर	4.96	5.69	7.24	9.05
भरतपुर	1.56	1.95	2.30	4.92
भीलवाड़ा	2.94	3.06	4.52	7.15
बीकानेर	2.21	2.94	3.89	8.00
बूंदी	1.20	1.84	2.41	4.98
चितौड़गढ़	2.88	3.19	4.94	6.13
चुरू	3.82	4.91	6.40	10.94
दौसा	1.10	1.28	1.49	2.28
धौलपुर	0.22	0.24	0.20	0.60
डूंगरपुर	0.43	0.50	0.87	3.85
हनुमानगढ़	3.58	4.09	5.24	8.50
जयपुर	5.67	5.85	6.40	9.37
जैसलमेर	1.20	1.65	1.84	1.66
जालोर	3.50	4.34	5.46	7.10
झालावाडी	2.27	2.97	3.76	7.38
झुंझुनूं	3.30	3.64	4.27	5.51
जोधपुर	4.91	5.03	5.89	5.33
करौली	0.42	0.58	0.78	0.98
कोटा	1.34	1.92	2.68	3.03
नागौरी	2.43	3.80	5.21	5.13
पाली	2.64	1.65	2.46	2.68
प्रतापगढ़	0.80	0.96	1.64	2.28
राजसमंदो	0.31	0.50	0.69	1.07
सवाई माधोपुर	1.03	1.76	2.23	3.33
सीकर	3.43	4.35	4.69	5.68
सिरोही	0.62	0.56	0.61	0.43
श्री गंगानगर	2.72	3.49	4.01	15.74
टोंक	2.40	2.71	3.37	4.49

उदयपुर	0.65	0.80	1.24	2.46
कुल योग	71.79	85.27	107.58	166.83

.....जारी/-

दिनांक 25.11.2021 की स्थिति के अनुसार पीएमएफबीवाई के तहत उत्तर प्रदेश में जिले-वार नामांकन				
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	बीमित किसान आवेदन (लाख)			
	2018-19	2019-20	2020-21	खरीफ 2021 (अनन्तिम)
आगरा	0.96	0.59	0.31	0.07
अलीगढ़	0.76	0.56	0.34	0.16
इलाहाबाद	1.10	0.93	0.88	0.45
अम्बेडकर नगर	0.85	0.60	0.43	0.19
अमेठी	1.06	0.70	0.67	0.32
अमरोहा	0.20	0.12	0.04	0.03
औरैया	0.51	0.41	0.38	0.19
आजमगढ़	0.49	0.38	0.24	0.13
बागपत	0.03	0.02	0.01	0.002
बहराइच	1.60	0.92	1.01	0.67
बलिया	0.57	0.37	0.64	0.32
बलरामपुर	0.26	0.20	0.14	0.07
बाँदा	1.08	1.12	0.85	0.41
बड़ा बांकी	1.35	2.26	1.89	0.86
बरेली	0.48	0.38	0.20	0.12
बस्ती	0.95	0.58	1.04	0.54
भदोही	0.21	0.17	0.11	0.05
बिजनौर	0.03	0.03	0.07	0.03
शाहजहांपुर	0.49	0.44	0.29	0.17
बुलंदशहर	1.36	1.10	0.90	0.15
चंदौली	0.39	0.37	0.23	0.07
चित्रकूट	0.31	0.34	0.39	0.19
देवरिया	0.71	0.73	0.77	0.39
एटा	0.31	0.22	0.12	0.04
इटावा	0.59	0.37	0.36	0.17
फैजाबाद	0.90	0.73	0.58	0.25
फर्रुखाबाद	0.51	0.39	0.18	0.09
फतेहपुर	1.46	1.19	1.14	0.50
फिरोजाबाद	0.72	0.43	0.27	0.08
गौतम बुद्ध नगर	0.14	0.17	0.09	0.02
गाज़ियाबाद	0.04	0.04	0.03	0.01
गाजीपुर	0.89	0.76	0.56	0.20
गोंडा	0.70	0.27	0.24	0.14
गोरखपुर	1.02	0.77	0.92	0.55
हमीरपुर	0.96	0.69	0.76	0.39

हापुड़	0.08	0.08	0.03	0.01
हरदोई	1.19	0.75	0.76	0.34
हाथरस	0.47	0.31	0.11	0.03
जालौन	1.84	1.13	1.03	0.53
जौनपुर	0.37	0.33	0.23	0.11
झांसी	4.55	3.08	3.81	2.16
कन्नौज	0.94	0.68	0.45	0.32
कानपुर देहात	1.44	0.87	0.81	0.37
कानपुर नगर	1.17	0.91	0.79	0.31
कासगंज	0.24	0.18	0.11	0.04
कौशाम्बी	0.53	0.45	0.34	0.14
खेरी	0.32	0.11	0.08	0.02
कुशीनगर	1.19	0.94	1.09	0.64
ललितपुर	3.32	3.23	2.93	1.60
लखनऊ	0.55	0.48	0.37	0.14
महोबा	1.86	0.80	1.12	0.86
महाराजगंज	1.26	0.70	0.85	0.52
मैनपुरी	0.61	0.31	0.16	0.06
मथुरा	1.52	1.77	1.73	0.84
मौ	0.27	0.20	0.16	0.07
मेरठ	0.05	0.03	0.02	0.01
मिर्जापुर	0.93	0.57	0.58	0.33
मुरादाबाद	0.32	0.27	0.10	0.07
मुजफ्फरनगर	0.03	0.02	0.01	0.01
पीलीभीत	0.68	0.74	0.27	0.11
प्रतापगढ़	0.82	0.68	0.68	0.35
रायबरेलीक	2.19	1.67	1.70	0.81
रामपुर	1.15	0.84	0.28	0.09
सहारनपुर	0.10	0.08	0.03	0.01
संभल	0.42	0.26	0.10	0.06
संत कबीर नगर	0.60	0.41	0.57	0.28
शाहजहांपुर	0.41	0.33	0.15	0.05
शामली	0.07	0.04	0.01	0.00
श्रावस्ती	0.57	0.39	0.39	0.20
सिद्धार्थनगर	0.97	0.45	0.76	0.39
सीतापुर	1.03	0.70	0.56	0.25
सोनभद्र	0.56	0.42	0.34	0.16
सुल्तानपुर	1.32	0.76	0.49	0.20
उन्नाव	1.24	0.91	0.67	0.26

वाराणसी	0.23	0.20	0.17	0.05
कुल योग	**61.41**	**46.42**	**41.89**	**20.80**

*****